

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी।


पूर्णकालिक निविदा सूचना

निविदा सूचना सं०-वा०/०१/नियोजन/२०२०

दिनांक-०७.११.२०२०

महामहिम राज्यपाल महोदय उ०प्र० की ओर से राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी द्वारा आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-२५६/७८-२-२०१८-४२ आई०टी०/२०१७ टी०सी०-२ दिनांक २४.४.२०१८ के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, परीक्षा वर्ष-२०२१, में प्रयोगार्थ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अनुमानित बीस लाख सादी उत्तर पुस्तिकाओं की धागे से सिलाई हेतु पंजीकृत निजी मुद्रकों/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र पर मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

- १- निविदा सूचना के प्रकाशन के उपरान्त से निविदा प्रपत्र कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी से प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक-०९.१२.२०२० तक समय १०.०० बजे से ५.०० बजे तक रुपया २५०.०० (रु० दो सौ पचास मात्र) कोष अनुभाग में नगद जमा करके प्राप्त किया जा सकता है एवं जिसकी प्राप्ति रसीद को निविदा के टेक्निकल बिड के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- २- दिनांक-१०.१२.२०२० को समय १२.०० बजे तक मुहर बन्द निविदायें निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उसी दिन समय ०१.०० बजे गठित समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख निविदा की टेक्निकल बिड एवं समय ०३.०० बजे सफल निविदा की फाईनेन्शियल बिड खोली जायेगी, यदि निविदा डाले जाने/खोले जाने के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ऐसी स्थिति में अगले कार्यदिवस को निविदा डाले जाने/खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ३- निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट dpsup.up.nic.in पर उपलब्ध है तथा निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र क्रमांक-१ के अनुसार कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी से प्राप्त किये जा सकते हैं।


(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
उप निदेशक

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी।


पूर्णकालिक निविदा सूचना

निविदा सूचना सं०-वा०/०१/नियोजन/२०२०

दिनांक-०७.११.२०२०

महामहिम राज्यपाल महोदय उ०प्र० की ओर से राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी द्वारा आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-२५६/७८-२-२०१८-४२ आई०टी०/२०१७ टी०सी०-२ दिनांक २४.४.२०१८ के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, परीक्षा वर्ष-२०२१, में प्रयोगार्थ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अनुमानित बीस लाख सादी उत्तर पुस्तिकाओं की धागे से सिलाई हेतु पंजीकृत निजी मुद्रकों/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र पर मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- (१) निविदा सूचना के प्रकाशन के उपरान्त से निविदा प्रपत्र कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी से प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक-०९.१२.२०२० तक समय १०.०० बजे से ५.०० बजे तक रुपया २५०.०० (रु० दो सौ पचास मात्र) कोष अनुभाग में नगद जमा करके प्राप्त किया जा सकता है एवं जिसकी प्राप्ति रसीद को निविदा के टेक्निकल बिड के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- (२) दिनांक-१०.१२.२०२० को समय १२.०० बजे तक मुहर बन्द निविदायें निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उसी दिन समय ०१.०० बजे गठित समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख निविदा की टेक्निकल बिड एवं समय ०३.०० बजे वैध निविदा की फाईनेन्शियल बिड खोली जायेगी, यदि निविदा डाले जाने/खोले जाने के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ऐसी स्थिति में अगले कार्यदिवस को निविदा डाले जाने/खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (३) निविदादाता द्वारा टेक्निकल बिड के रूप में निविदा शुल्क की रसीद, अर्नेस्टमनी के रूप में रुपया १५०००.०० (रु० पन्द्रह हजार मात्र) की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० जो उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी के पक्ष में बंधक देय हो, जी०एस०टी० का पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष-२०१८-१९, २०१९-२० का एवं फर्म के पैड पर स्पष्ट रूप से निविदा में दी गयी शर्त मान्य है, का प्रमाण पत्र फर्म के प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित करके संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (४) फाईनेन्शियल बिड के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में परीक्षा वर्ष-२०२१ की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट, अनुमानित संस्करण २० लाख सादी उत्तर पुस्तिकाओं की धागे से सिलाई (धागा सहित) का दर जी०एस०टी०, आयकर तथा अन्यकर जो भी लागू हो, को सम्मिलित करते हुए दर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील सहित प्रस्तुत करना होगा।
- (५) टेक्निकल बिड से सम्बन्धित अभिलेखों को एक लिफाफे में बन्द कर उसके ऊपर टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड के लिफाफे में दर से सम्बन्धित अभिलेख रखने एवं उसे बन्द करके लिफाफे पर फाईनेन्शियल बिड अंकित करना होगा। दोनों अलग-अलग लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर जिस पर निविदा की संख्या, दिनांक एवं फर्म का नाम व पता का उल्लेख हो, उसे बन्द करके निर्धारित तिथि पर समय से पूर्व निविदा बाक्स में डालना होगा।
- (६) निविदा प्रपत्र में कटिंग, ओवरराइटिंग एवं अस्पष्ट अथवा हस्ताक्षर न होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- (७) सफल निविदादाता को प्रतिभूति की धनराशि सिक््योरिटी मनी के रूप में जो कि टेण्डर के कुल मूल्य का १०% होगा, जिसकी राष्ट्रीकृत बैंक के एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में वैधता दिनांक ३१.३.२०२२ से कम न हो, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी के पक्ष में बंधक कर जमा कराना होगा। अर्नेस्ट मनी से प्रतिभूति राशि के अधिक होने की दशा में सफल निविदादाता को उक्त अन्तर की धनराशि को अनुबन्ध के समय एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में जमा करना होगा। नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
- (८) सादी उत्तरपुस्तिकाओं पर धागे की सिलाई (धागा सहित) का सम्पूर्ण कार्य राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी परिसर में कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (९) विगत वर्ष में फर्म द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में संतोषजनक ढंग से कार्य किये जाने का यदि कोई अनुभव हो तो प्रमाण पत्र का स्वहस्ताक्षरित कापी टेक्निकल बिड के लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाय। फर्म के ब्लैंक लिस्टेट पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा प्रतिभूति की धनराशि मुद्रणालय/शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। सशर्त निविदा अस्वीकृत होगी।
- (१०) निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी के पास सुरक्षित होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- (११) सफल निविदादाता को सादी उत्तर पुस्तिका की सिलाई से पूर्व विभाग के साथ एक अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध होने की तिथि के तुरन्त बाद से सादी उत्तर पुस्तिकाओं की सिलाई का कार्य शुरू करके अन्तिम रूप से दिनांक १५.०१.२०२१ तक प्रत्येक दशा में समाप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में समस्त सिलाई का कार्य करने में असफल होने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि को उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा, जिसके लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- (१२) शत प्रतिशत कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जायेगा एवं देयक से नियमानुसार जी०एस०टी० एवं आयकर की कटौती भी की जायेगी।
- (१३) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज के निर्देश के अनुरूप कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित संस्करण में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।


(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
उप निदेशक